(2021) 7 एस.सी.आर 332

सदाकत कोतबार तथा एक अन्य

बनाम

झारखण्ड राज्य

(दाण्डिक अपील सं0 1316 वर्ष 2021)

नवम्बर 21, 2021

(एम.आर. शाँह तथा ए. एस. वोपन्ना,न्यायमूर्तिगण)

दण्ड संहिता 1860, धारा 307 सपठित धारा 34- शरीर के महत्वपूर्ण अंगो पर घोर क्षतियाँ- अभियोजन मामला यह है कि अपीलार्थी सं0 1 ने अ0सा0 7 के पसलीयोेंं में छुरे से वेधन किया तथा अपीलार्थी सं0 2 ने अ0सा0 8 के पेट के दाये तरफ पर तथा बाये पसलीयों पर छुरे से वेधन किया था- विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण-अभियुक्तगण को धारा 307 सपठित धारा 34 के अधीन अपराध हेतु दोषसिद्ध किया था- उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि के आदेश की पुष्टि किया था- अपील पर, अभिनिर्धारितः साक्षीगण विशेष रूप से अ0सा0 7 तथा अ0सा08 जो क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण थे के परिसाक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नही है- अपीलार्थीगण- अभियुक्तगण का मामला यह नही है कि अपराध अचानक झगड़ें के कारण घटित हुआ था या कि प्रहार आवेश की तीव्रता में किया गया था- चूकि घातक हथियारों का प्रयोग किया गया था तथा क्षतियाँ सीना तथा पेट के निकट क्षति पारित करने वाले प्रकृति में गंभीर थी जिसे शरीर का महत्वपूर्ण भाग होना कहा जा सकता है, अपीलार्थीगण को न्यायानुसार धारा 307 रूपठित धारा 34 के अधीन दोषसिद्द किया गया था- अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने वाले अवर न्यायालयो द्वारा लेखबद्ध एक ही निष्कर्षो में भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है।

अपील को खारिज करते हुए, न्यायालय ने

अभिनिर्धारित किया किः अभियुक्त का मामला यह नही है कि अपराध अचनाक झगड़े के कारण घटित हुआ था। यह भी प्रतीत नही होता है कि प्रहार आवेश की तीव्रता में किया गया था। इसके विपरीत, अ0सा07 तथा अ0सा08 के अभिसाक्ष्यों पर विचार करते हुए, अभियुक्तगण ने अ0सा07 के पति को घर से बाहर निकाला तथा ले गये थे तथा तत्पश्चात अभियुक्तगण ने अ0सा07 तथा अ0सा08 पर क्षतियाँ कारित किया था तथा छुरे से वेधन किया था। इस प्रकार, घातक हथियारों का प्रयोग किया गया था तथा क्षतियों को प्रकृति में

गंभीर पाया गया है। जैसा श्रृंखला वह निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा संपे्रक्षित किया गया है कोई व्यक्ति अभियुक्त के मन में प्रवेश नही कर सकता है तथा इसके आशय का पता प्रयुक्त हथियार, हमले हेतु चुने गये शरीर के अंग तथा पारित क्षति की प्रकृति से लगाया जाना चाहिए। उक्त सिद्धांतों पर वर्तमान मामले पर विचार करते हुए, जब खरतरनाक हथियार-छुरे का प्रयोग किया गया है, पेट पर तथा सीने के निकट छुरे की क्षति थी जिसे शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर होना कहाँ जा सकता है तथा कारित क्षतियों की प्रकृति, यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थीगण ने धारा 307 भा0द0सं0 के अधीन अपराध किया है। (पैरा 4) (335एफ-एच, 336-ए-बी)

म0प्र0 राज्य बनाम मानसिंह (2003) 10 एससीसी 414 : (2003) 2 अनुपूरक एससीआर, 460- भरोसा किया गया

जय नारायण मिश्रा का अन्य बनाम विहार राज्य (1971)3 एससीसी 762 अप्रयोज्य अभिनिर्धारित बनाम म0प्र0 राज्य (2000) 1 एससीसी 319-निर्दिष्ट

निर्णयज विधि संदर्भ

(2003) 2 अनुपूरक एससीआर 460	भरोसा किया गया	पैरा 2
(2000) 1 एससीसी 319	निर्दिष्ट	पैरा 4
(1971) 3 एससीसी 762	अप्रयोज्य अभिनिर्धारित	पैरा 5

दाण्डिक अपीलीय अधिकारिताः दाण्डिक अपील सं0 1316 वर्ष 2021

दाण्डिक अपील (एसजे)ं सं. 393 वर्ष 2004 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची के निर्णय तथा आदेश दिनांक 01.07.2019 से,

श्री प्रकाश सिन्हा, सुश्री मोहुआ सिन्हा, राकेश मिश्रा, नवलेन्द्र कुमार, शेखर कुमार, अपीलार्थीगण के अधिवक्तागण

अरूणभ चैधरी, एएजी, सुश्री वरनती चैधरी, सुश्री प्रज्ञा वघेल, शांतनु सागर, विष्णू शर्मा, अभिषेक राय, प्रत्यर्थी के अधिवक्तागण

न्यायालय का निर्णय एम,आर, शाँह, न्यायमूर्ति द्वारा सुनाया गया।

1. दाण्डिक अपील (एसजे) सं0 393 वर्ष 2004 में झारखण्ड उच्च न्यायालय राची द्वारा आक्षेपित निर्णय तथा आदेश दिनांक 01.07.2019 से व्यथित तथा असंतुष्ट महसूस करते हुए जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने भा0द0सं0 की धारा 307 सपठित धारा 34 के अधीन अपराधो के लिए इसमें अपीलार्थीगण के दोषसिद्दि की पुष्टि किया है, मूल अभियुक्त ने वर्तमान अपील अधिमानित किया है।

2. हमने उच्च न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय तथा आदेश तथा भा0द0सं0 की धारा 307 सपठित धारा 34 के अधीन अपराधो के लिए अभियुक्त को दोषसिद्ध करने वाले विद्धान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय तथा आदेश का परिशीलन किया है। इस प्रकार अभियोजन ने अभियोजन के मामले के समर्थन मेंे कुल 10 साक्षीगण को परीक्षित किया है, जिसमें से, दो क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण अ0सां07 तथा अ0सां08 है। इन दोनो ने अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। अभियोजन द्वारा परीक्षित अन्य साक्षीगण अर्थात अ0सा01, अ0सा02, अ0सा04 तथा अ0सा010 भी अपने कथनो में संगत है तथा पूर्णतया अभियोजन के मामले का समर्थन किया है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध मामले को सावित करने में सफल रहा है कि अपीलार्थी सं0 2-रेफाज कोतवार नेे अ0सा08- मोहम्मद जामिल कोतवार के पेट के दाये तरफ पर तथा वाये पसलीयो पर छुरा भोपा था तथा यह कि अ0सा07 को भी अपीलार्थी सं01-सदाकत कोतवार द्वारा इसके पसलीयो में छुरा भोपा गया था। हमे अभियोजन विशेष रूप से, अ0सं ा07 तथा अ0सा08 जो क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण है की ओर से परीक्षित साक्षीगण के परिसाक्ष्य पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। यह उल्लेख करना आवश्यक है कि अ0सं ा07 तथा अ0सा08 क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षीगण है। जैसा म0प्र0 राज्य बनाम मानसिंह (2003) 10 एससीसी 414 पैरा 9 के मामले में इस न्यायालय द्वारा अभिनिर्धारित किया गया है, क्षतिग्रस्त प्रत्यक्षदर्शी साक्षी के साक्ष्य का अत्यधिक साक्ष्यिक महत्व है तथा जब तक अप्रतिरोध्य कारण विद्यमान न हो, इनके कथनों को अकारण त्यक्त नही किया जाना चाहिए। अपीलार्थीगण- मूल अभियुक्त को दोषी ठहराने वाले अवर न्यायालयों द्वारा लेखवद्ध एक ही निष्कर्ष है जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के अधीन शक्तियों के प्रयोग में इस न्यायालय द्वारा कोई हस्तक्षेप आवश्यक नही है।

3. अब जहाँ तक अपीलार्थीगण की ओर से निवेदन कि अधिक से अधिक मामला भा0द0सं0 की धारा 323 के अधीन आ सकता है तथा इसलिए, अवर न्यायालयों ने अभियुक्त को धारा 307 भा0द0सं0 के अधीन अपराध हेतु दोषसिद्ध करने में त्रुटि किया है का सबंध है, अपीलार्थीगण की ओर से मामला यह है कि यह एक प्रहार/ क्षति का मामला है। फिर भी, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि एक प्रहार की क्षति शरीर के महत्वपूर्ण भाग अर्थात पेट तथा सीने के निकट था। क्षति की प्रकृति धारदार हथियार द्वारा कारित घोर क्षति है। जामिल कोतवार पर निम्न क्षतियाँ पाई गई थीः

बांये अक्षीय के मध्य कक्षीय क्षेत्र में चैथे तथा पांचवे अन्तरापर्शुक स्थान में हेमा टोमा निर्माण 4"x3" क्षेत्र के साथ छिन्नघाव 1"x1"x मांसपेशी गहरी

समसेरा बीबी पर निम्न क्षतियाँ पाई गई थीः सीने के वाये आधे के 8 वे अन्तरापर्शुक स्थान मध्य क्लेरी कुघर लाइन में छिन्न घाव 1"x1/2"x फुप्फुसावरण गहरी इस प्रकार क्षतियों के प्रकृति को धारदार उपकरण द्वारा कारित गंभीर होना पाया गया था।

4. महेश वाल्मीकी बनाम म0प्र0 राज्य (2000) 1 एससीसी 319 के मामले में पैरा 9 में यह निम्नवत अभिनिधारित किया गया हैः-

> ''9 ऐसा कोई सिद्धांत नही है कि एक प्रहार के सभी मामलो में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता आकृष्ट नही होता है। एक प्रहार कुछ मामलों में धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दोषसिद्धि आवश्यक हो सकता है, कुछ मामलों में धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन तथा कुछ अन्य मामलों में धारा 326 भारतीय दण्ड संहिता के अधीन। अपराध के प्रकृति के संबंध में प्रश्न का अवधारण प्रत्येक मामले के तथ्यों पर तथा परिस्थितियों में किया जाना चाहिए। क्षति की प्रकृति, चाहे शरीर के महत्वपूर्ण या गैर महत्वपूर्ण भाग पर हो, प्रयुक्त हथियार, परिस्थितियाँ जिसमें क्षति पारित की गई है तथा तरीका जिसमंे क्षति पहुचाई गई है सभी सुसंगत कारक है जो अपराधी के अपेक्षित आशय या ज्ञान तथा इसके द्वारा किये गये अपराध का निर्धारण करने में काम दे सकता है। वर्तमान मामले में, मृतक स्वयं को बचाने में असमर्थ था क्योकि इसे अपीलार्थी के साथियों द्वारा पकड़ा गया था जिसने यद्यपि एक फिर भी ऊपर उल्लिखित किस्म का घातक प्रहार पहुचायाँ था। इन तथ्यांे से स्पष्ट रूप से सावित होता है कि अपीलार्थी का आशय मृतक की हत्या करने का था। किसी भी स्थिति में, इस पर निश्चित रूप से ज्ञान आरोपित किया जा सकता है कि इसके द्वारा किया गया चाकू से प्रहार इतना आसन्न खतरनाक था कि इसे सभी संभावना में मृत्यु या इस प्रकार की शारीरिक क्षति कारित करनी चाहिए जिससे मृत्यु कारित होना संभाब्य है।''

4.1 अभियुक्त का मामला यह नही है कि अपराध अचानक झगड़े से घटित हुआ था। यह भी प्रतीत नही होता है कि प्रहार आवेश की तीव्रता में किया गया था। इसके विपरीत, अ0सा07 तथा अ0सा08 के अभिसाक्ष्यो पर विचार करते हुए अभियुक्त व्यक्तियों ने अ0सां07 के पति को घर से बाहर निकाला था तथा ले गये थे तथा तत्पश्चात अभियुक्तगण ने अ0सां07 तथा अ0सां08 पर क्षतियाँ पारित किया था तथा छुरा भोपा था। इस प्रकार, खतरानाक हथियारो का प्रयोग किया गया है तथा क्षतियों को प्रकृति में गंभीर होना पाया गया है। चूकिं खतरनाक हथियार का प्रयोग सीने तथा पेट के निकट क्षति कारित करते हुए किया गया है जिसे शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर होना कहा जा सकता है, अपीलार्थीगण को

भा0दं0सं0 की धारा 307 सपठित धारा 34 के अधीन अपराध हेतु ठीक ही दोषसिद्ध किया गया है। जैसा इस न्यायालय द्वारा श्रृंखलाबद्ध निर्णयों में संप्रक्षित तथा अभिनिर्धारित किया गया है कोई व्यक्ति अभियुक्त के मन में प्रवेश नही कर सकता है तथा इसके आशय का पता प्रयुक्त हथियार, हमले हेतु चुने गये शरीर के भाग तथा कारित क्षति के प्रकृति से लगाया जाना चाहिए। पूर्वोक्त सिद्धांतों पर वर्तमान मामले पर विचार करते हुए, जब खतरनाक हथियार छुरा का प्रयोग किया गया है, पेट या तथा सीने के निकट छुरे की क्षति थी जिसे शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर होना कहा जा सकता है तथा कारित क्षतियों की प्रकृति, यह ठीक ही अभिनिर्धारित किया गया है कि अपीलार्थीगण ने धारा 307 भा0द0सं0 के अधीन अपराध किया है।

5. हम विद्धान विचारण न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा लिये गये विचार से पूर्णतया सहमत है। अब जहाँ तक जय नारायण मिश्रा तथा अन्य बनाम बिहार राज्य (1971) 3एससीसी 762 में इस न्यायालय के निर्णय पर रखे गये भरोसा का संबंध है, तथ्यों पर इस प्रकार का निर्णय विशेष रूप से पश्चातवर्ती निर्णयों तथा प्रयुक्त हथियार, शरीर के महत्वपूर्ण भाग पर कारित क्षतियो की प्रकृति पर विचार करते हुए लागू नही होगा।

उपरोक्त के दृष्टिगत तथा एतस्मिन उपरोक्त बताये गये कारणों पर, वर्तमान अपील असफल होती है तथा वह खारिज किये जाने योग्य है तथा तदनुसार खारिज किया जाता है।

<u>यह अनुवाद शिवाकान्त तिवारी, पैनल अनुवादक द्वारा किया गया।</u>